

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

Filing No.-235103004802012  
परिवाद प्रकरण क.-410 / 2012  
संस्थापित दिनांक-09.08.2012

1.तुलसीराम पुत्र धनसिंह जाति कोली उम्र 50 साल पेशा साडी बुनाई निवासी प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर। .....परिवादी / अभियोगी	
<b>विरुद्ध</b>	
1.असलम खां पुत्र ईद मोहम्मद आयु 45 साल 2.अकरम खां पुत्र ईद मोहम्मद आयु 40 साल 3.आरिफ खां पुत्र ईद मोहम्मद आयु 36 साल 4.जावेद खां पुत्र ईद मोहम्मद आयु 32 साल 5.हामिद खां पुत्र असलम उम्र 23 साल 6.आमिर खां पुत्र असलम खां आयु 20 साल 7.गुडडू खां पुत्र आमीन खां आयु 30 साल 8.अतीक खां पुत्र आमीन खां आयु 26 साल 9.फईम खां पुत्र आमीन खां आयु 24 साल 10.आमीन खां पुत्र गुल मोहम्मद आयु 55 साल 11.अकलीम खां पुत्र सईद खां आयु 25 साल 12.इम्तियाज खां पुत्र इरशाद खां आयु 27 साल 13.इमरान खां पुत्र इरशाद खां आयु 23 साल 14.मतीन खां पुत्र सईद खां आयु 30 साल 15.जमील खां पुत्र यूसुफ खां आयु 26 साल 16.जलील खां पुत्र यूसुफ खां आयु 24 साल 17.लतीफ खां पुत्र करीम खां आयु 45 साल 18.सईद खां पुत्र धुन्धा खां आयु 60 साल 19.अफजल खां पुत्र नूर खां आयु 55 साल 20.नफीस खां पुत्र आमीन खां आयु 20 साल 21.रुक्कू खां पुत्र युनिस खां आयु 20 साल सभी जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। .....आरोपीगण	
परिवादी द्वारा	:- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री परमार अधिवक्ता।

**-: निर्णय :-**  
**(आज दिनांक 02.06.2017 को घोषित)**

01- परिवादी तुलसीराम पुत्र धनसिंह जाति कोली उम्र 50 साल पेशा साडी बुनाई निवासी प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह परिवाद पत्र

अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 148, 120क, 427, 294, 336, 452, 506 एवं 153क के अंतर्गत हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण एवं फरियादी का राजीनामा होने से आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323, 294, 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भा.द.वि. की धारा 336, 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— परिवादी का परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी तुलसीराम ने आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 30.07.12 को शाम को छः बजे आरोपीगण लाठी, तलवार, फरसे लेकर आए और उसका घर घेर लिया तथा उसे गालियां दीं एवं घर पर पत्थर फेंके। परिवादी के अनुसार आरोपीगण ने घर के अंदर घुसकर हैंडलूम, खिड़की, रंगीन टीवी आदि तोड़ दिए जिससे उसका कम से कम डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। परिवादी के परिवाद पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 294, 323, 427, 336, 190 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विचारण प्रारंभ किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323, 427, 336, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.07.12 को शाम 6 बजे ग्राम प्राणपुर में परिवादी को वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी को लोकसेवक की संरक्षा से विरत रहने के आशय से मारने की धमकी दी?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— परिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में परि.सा. 01 तुलसीराम की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

08— परिवादी साक्षी 01 तुलसीराम ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उसने आरोपीगण के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए धमकी दी गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया था। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी गई और न ही यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण द्वारा परिवादी को वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न

कारित किया गया। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 336, 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)